Phone & Fax:–01376–254062

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग चम्बा (टिहरी गढवाल।)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION,
P.W.D. CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249145
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eepwdchamba@rediffmail.com

पत्रांकः– 1216/13 m.g 13 एम0 जी0 दिनांक 02 /06/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
टिहरी गढ़वाल।

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1529/FP/UK/ROAD/49876/2020 : देहरादून दिनांक 23 दिसम्बर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.175 है0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है।

क0 सं0	लगाई गई आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	प्रस्ताव के संलग्न समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाय।	समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी हैं।
2	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 मे रोजगार पैदा होने वाला कॉलम रिक्त है। रोजगार पैदा होने की सम्भावना एंव मानव दिवस अंकित की जाये।	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 मे रोजगार पैदा होने वाले कॉलम को भर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न भाग–2 में स्थान एंव दिनांक अंकित की जाये।	भाग 2 से सम्बन्धित होने के कारण आपके स्तर से किया जाना है।
4	प्रारूप –6/ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मे वन एंव राजस्व भूमि प्रभावित होना उल्लिखित है, जबकि भाग–1 मे आरक्षित वन भूमि एंव नाप भूमि प्रभावित होगी अंकित हैं। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रारूप –6 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं भाग –1 में आपत्ति का निराकरण कर ठीक कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में परियोजना निर्माण हेतु दो डिजिटल मैप संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।	सही डिजिटल मैप संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रारूप –6/ प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रारूप 11/वन भूमि का मांग का औचित्य मे बांज एंव बुरांश वृक्षों की संख्या मे भिन्नता है।	प्रारूप –6 प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण में बांज एवं बुरांश के 124 वृक्ष प्रभावित होने प्रस्तावित है। जिसके अनुसार प्रारूप 11 में वन भूमि की मॉग के औचित्य प्रपत्र में बॉज एवं बुरांश वृक्षों की संख्या को सही कर 124 कर दिया गया है।
7	परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि का लैण्ड सेड्यूल प्रस्ताव मे संलग्न है। जिसके	सही कर दिया गया है।

	अनुसार भाग–1 में प्रभावित होने वाली भूमि मे भिन्नता है। इसके अतिरिक्त बार चार्ट को भी तदनुसार परीक्षण करायें।	
8	परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में आरक्षित एंव सिविल सोयम भूमि उल्लेखित है, जबकि भाग–1 के अनुसार सिविल सोयम भूमि प्रभावित नही होगी।	परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में उल्लिखित सिविल सोयम भूमि त्रुटिवश अंकित हो गया था। जिसे ठीक कर दिया गया है।
9	वन अधिकार अधिनियम –2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 मे रिक्त स्थानों को भरा जाय।	वन अधिकार अधिनियम –2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 मे रिक्त स्थान भर दिये गये हैं।
10	उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एवं दिनांक अपेक्षित है।	उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एवं दिनांक को भर दिया गया है।
11	ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति सहित प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।	ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति सहित संलग्न कर दिये गये हैं।
12	परियोजना निर्माण हेतु यदि नाप भूमि से प्रभावित होगी तो सम्बन्धित भूमिधराको के स्वामित्व प्रमाण पत्र एंव अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव मे संलग्न किये जायें।	परियोजना निर्माण हेतु नाप भमि से सम्बन्धित भूमिधारको के स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र संलग्न किये जा रहे हैं।
13	प्रस्ताव मे संलग्न विभिन्न प्रपत्रों के अनुसार मार्ग की लम्बाई 4.650 कि0मी0 है जबकि मार्ग की निर्माण की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति 08 कि0मी0 की हैं। स्थिति स्पष्ट करे।	मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 8.00 कि0 मी0 है। परन्तु लाभान्वित ग्राम को मात्र 4.650 कि0 मी0 लम्बाई से ही लाभ मिल रहा है। जिस कारण उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की मॉग भी न्यूनतम है।

अतः उपरोक्त समस्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी महोदय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रस्ताव मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मूल में।

(इ0 पी0 एस0 नेगी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक :– / तददिनांक

प्रतिलिपिः–1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2:– अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉ वृत्त लो0 नि0 वि0 नई टिहरी, टि0 ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता